



न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर
(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 15/2018 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

RCMS NO : 2018/00031

अनवान

1. श्री लक्ष्मण सिंह पिता स्व० श्री गरवर सिंह राजपूत, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
2. श्री हमीर सिंह पिता स्व० श्री गरवर सिंह राजपूत, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
3. श्री दुल्हे सिंह पिता स्व० श्री गरवर सिंह राजपूत, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
4. श्री राम सिंह पिता स्व० श्री गरवर सिंह राजपूत, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
5. श्री नाथु सिंह पिता स्व० श्री गरवर सिंह राजपूत, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
6. श्री जवान सिंह पिता श्री हम्मेर सिंह राजपूत, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
7. श्री दुजान सिंह पिता धुल सिंह राजपूत, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
8. श्री रणजीत सिंह पिता दुजान सिंह राजपूत, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
9. श्री फतह सिंह पिता श्री ज्ञान सिंह राजपूत, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
10. श्री माधु सिंह पिता तेज सिंह राजपूत, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
11. श्री हीरालाल पिता पदम जी सुथार, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री गौतम सिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत, निवासी रून्देला, तह सलुम्बर, जिला उदयपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. सुश्री प्रमोदिनी बक्षी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970
बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

*** निर्णय ***

दिनांक 31-07-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण मौजा रून्देला, तहसील सलुम्बर के काश्तकार होकर स्थाई निवासी है एवं इनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। दिनांक 30.06.2000 को आवंटन सलाहकार समिति, सलुम्बर द्वारा विपक्षी संख्या 1 श्री गौतम सिंह पिता खुमाण सिंह राजपूत के पक्ष में गांव रून्देला, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 2678 में से रकबा 0.7000 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 422 में से रकबा 0.6000 हेक्टेयर कुल कित्ता 2 रकबा 1.3000 हेक्टेयर का आवंटन कर दिया गया जिसमें आवंटन नियम 5, 6 व 7 की पालना नहीं की गयी, ऑक्यूपाईड एवं अनऑक्यूपाईड भूमि की सूचि भी तैयार नहीं की गयी एवं न ही प्रोक्लेमेशन जारी किया गया। उक्त आवंटन नियमों की अनदेखी कर विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है एवं आवंटन नियमों के नियम 14 (2) के अनुसार आवंटि को आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि एवं शेष भूमि द्वितीय वर्ष में काश्त करना अनिवार्य है, किन्तु आवंटि द्वारा आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तों की पालना भी नहीं की गयी है। कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट में भी मौताबिरान् के समक्ष कब्जा नहीं दिया गया है। विपक्षी संख्या 1 को आवंटित आराजीयात पर प्रार्थीगण एवं उनके परिवारजन का पिछले 40 वर्षों से भी अधिक समय से बाड बनी होकर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं पशुओं को बांधने का टापरा बना होकर प्रार्थीगण काबिज है। विपक्षी के पास 15 बीघा से अधिक भूमि होने से वह भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है। दिनांक 08.09.2010 को उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर द्वारा निर्देशानुसार प्रार्थीगण की शिकायत के आधार पर बनाये गये मौका पर्चा रिपोर्ट में भी विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण का कब्जा होना पाया गया है। इस प्रकार विपक्षी के पक्ष में किया उक्त कथित आवंटन विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी के पक्ष में किये गये कथित आवंटन को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी की ओर से श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब पेश किया कि मामले में प्रार्थीगण हितबद्ध व्यक्ति न होने से उन्हें यह प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण काश्तकार न होकर व्यापारी है। विपक्षी को उक्त आवंटन वर्ष 2000 में हुआ है एवं यह आवंटन निरस्ती प्रार्थना पत्र जानबूझकर 11 वर्ष पश्चात पेश किया गया है। विपक्षी उक्त भूमि का रेकर्डेड काश्तकार है। विपक्षी को आवंटन सलाहकार समिति की पूर्ण राय के आधार पर उक्त आवंटन किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा आवंटन योग्य भूमि की सूचि बनाकर पेश की गयी एवं उसी के अनुसार उद्घोषणा पत्र जारी हो आवंटन कमेटी की राय पर 133 व्यक्तियों को

दिनांक 30.06.2000 को आवंटन जारी किया गया है एवं 133 व्यक्तियों को एक साथ आवंटन होने से यह नहीं माना जा सकता की प्रार्थीगण को उक्त आवंटन की जानकारी न हो। आवंटन उपरान्त मौतबिरान की उपस्थिति में कब्जा सुपुर्द किया गया है। विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा कभी नहीं रहा है एवं कानूनन भी ट्रेसपासर कब्जे की परिभाषा में नहीं आता है। विपक्षी भूमिहीन काश्तकार है तथा विपक्षी के पास जो भी जमीन है वह संयुक्त रूप में हो मौरूसी है, जिसमें उसके तीन पुत्रों का भी बराबर हिस्सा है। विपक्षी का न तो 15 बीघा जमीन पर कब्जा है और न ही उसके खाते में 15 बीघा से अधिक भूमि मौजूद है। आवंटन उपरान्त नियमानुसार आवंटी द्वारा भूमि काश्त की गयी है। इस प्रकार आवंटन अधिकारी द्वारा विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन नियमानुसार एवं विधिनुकूल होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

प्रकरण में तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर से विवादित आराजीयात पर वर्तमान में किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार सलुम्बर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 820 दिनांक 16.08.2011 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया कि मौजा रून्देला की आराजी संख्या 2678 पर वर्तमान में थुअर की बाड की लगी हुयी है जिसे लक्ष्मण सिंह पिता गरवर सिंह द्वारा बनाया गया है उससे पूर्व भूमि पर गौतम सिंह का ही कब्जा था। वर्तमान में भूमि राजस्व रेकर्ड में विपक्षी श्री गौतम सिंह के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है, इसी प्रकार वर्णित आराजी संख्या 422/1 रकबा 0.6000 हेक्टेयर भूमि ही गौतम सिंह पिता खुमाण सिंह के नाम दर्ज रेकर्ड हो मौके पर पडत होकर खातेदार श्री गौतम सिंह का ही कब्जा है। प्रकरण में तहसीलदार सलुम्बर से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली में उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर की आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति के आधार पर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उक्त आवंटन में उद्घोषणा जारी न होना, मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा होना, आवंटन से पूर्व ऑक्यूपाईड एवं अनऑक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार न होना, आवंटन में मिसरिप्रजेन्टेशन होना, आवंटन में नियम 5, 6 व 7 की अवहेलना होना एवं आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तों की पालना न होना, आवंटन में आवंटी द्वारा पूर्व से उपलब्ध भूमि की जानकारी को छुपाया जाना, आवंटन कमेटी द्वारा तथ्यों की जाँच न करना, आवंटन पत्रावली पर कमेटी के कोरम पर सदस्यों के हस्ताक्षर के नीचे मोहर अंकित न होना, आवंटी के पास धारा 91 के नोटिस न होना, प्रार्थीगण का 40 वर्ष पुराना कब्जा होना, पूर्व में विवाद होने पर तहसीलदार द्वारा बनाई गयी रिपोर्ट प्रार्थीगण के पक्ष की होना आदि आधारों पर विपक्षी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने की मांग की। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि मामले में जारी की गयी मौका रिपोर्ट की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी और न ही विपक्षी को किये आवंटन की जानकारी प्रार्थीगण को थी। विपक्षी आवंटित भूमि से दूर रहते हैं एवं विवाद करने पर पूर्व में इनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। विपक्षी द्वारा कराया गया आवंटन फ्रॉड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन से होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य पाया जाता है। प्रार्थीगण

के अधिवक्ता द्वारा मौके के फोटो एवं कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 की प्रति पेश करते हुये अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :-

- आर.आर.टी. 2016 (2) पृष्ठ 1295
- आर.आर.टी. 2015 (2) पृष्ठ 790
- आर.आर.टी. 2014 (2) पृष्ठ 797
- आर.आर.टी. 2011-12 (SUPP) पृष्ठ 99
- आर.आर.टी. 2012 (1) पृष्ठ 483

विपक्षी के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, विपक्षी का पुराना कब्जा होना, आवंटन में कोई मिसरिप्रजेन्टेशन न होना अवगत कराया, विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि दिनांक 30.06.2000 को किये गये आवंटन में आवंटन कमेटी के समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर मौजूद है। आवंटन दिवस को 133 लोगो को आवंटन हुआ, ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि प्रार्थीगण को उक्त आवंटन की जानकारी न हो, क्योंकि आवंटन दिवस को प्रार्थीगण को भी भूमि का आवंटन हुआ है एवं जब प्रार्थीगण को भी उसी दिवस को भूमि का आवंटन हुआ है तो इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें आवंटन की जानकारी न हो। प्रार्थीगण का विवादित आराजीयात पर आवंटन से पूर्व कब्जा होने की पुष्टि स्वरूप कोई धारा 91 के नोटिस या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि उन्हें ध्यान में डाले बिना ही मौके की रिपोर्ट एकतरफा मंगवा ली गयी है, किन्तु इस न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के उपरान्त ही प्रथम पेशी पर मंगवा ली गयी थी, जबकि विपक्षी अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र भी बाद में पेश किया गया है। जिन्स गिरदावरी रिपोर्ट भी विपक्षी मे पक्ष में है प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बार बार प्रकरण में प्रार्थी संख्या 1 श्री लक्ष्मण सिंह पिता गरवर सिंह का कब्जा विवादित आराजीयात पर बताया जा रहा है, किन्तु प्रार्थी संख्या 2 से 11 को अनावश्यक रूप से प्रार्थी की तरफ से पक्षकार बनाया गया है। मात्र कब्जे के आधार पर कोई आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार सलुम्बर द्वारा भिजवाई गयी मौका रिपोर्ट पर स्वयं प्रार्थीगण के हस्ताक्षर मौजूद है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन नियमानुसार होने से निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर सव्यय खारिज किया जावे एवं विपक्षी के पक्ष में किये गये कथित आवंटन को यथावत रखा जावे। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये:-

- आर.बी.जे. 2009 पृष्ठ 201
- आर.आर.टी. 2003 (2) पृष्ठ 921
- आर.आर.टी 2001 (1) पृष्ठ 383
- आर.आर.टी. 2007 (2) पृष्ठ 1194
- आर.आर.टी. 2010 (1) पृष्ठ 157

- आर.आर.टी. 2006 (2) पृष्ठ 1220
- आर.आर.टी. 2011 (1) पृष्ठ 270
- आर.बी.जे. 2009 (16) पृष्ठ 258
- आर.आर.डी. 2008 पृष्ठ 454, 125
- आर.बी.जे. 1995 (2) पृष्ठ 733
- आर.बी.जे. 2009 (16) पृष्ठ 112
- आर.आर.टी. 2006 (2) पृष्ठ 1171
- आर.आर.डी. 1990 पृष्ठ 642
- आर.आर.डी 1992 पृष्ठ 26
- आर.आर.टी 2018 (2) पृष्ठ 1006

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, रेस्पोंडेन्ट के जवाब, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति से यह ज्ञात होता है कि आवंटी श्री गौतम सिंह पिता खुमाण सिंह राजपूत द्वारा मौजा रून्देला, तहसील सलुम्बर की साबिक आराजी संख्या 2678 रकबा 0.7000 हेक्टेयर एवं 422 रकबा 0.6000 हेक्टेयर कुल कित्ता 02 रकबा 1.3000 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की जांच उपरान्त उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी को किया गया है। आवंटन पत्रावली में कोरम पर तहसीलदार, क्षेत्रीय विधायक, प्रधान, सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर भी मौजूद है। आवंटन के उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि उक्त आवंटन की जानकारी उन्हें विलम्ब से होने से उनके द्वारा विलम्ब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, किन्तु यह उल्लेखनीय है कि आवंटन दिवस को पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड अनुसार 133 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया है, जिसमें प्रार्थीगण में से भी श्री दुजान सिंह एवं श्री फतह सिंह को भूमि का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को उक्त तथ्य की जानकारी न हो, स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर उनका 40 वर्ष पुराना कब्जा होना अवश्य बताया है किन्तु इसकी पुष्टि में कोई दस्तावेज उनके द्वारा पेश नहीं किया गया है। यदि विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होता तो उनके पास अन्तर्गत धारा 91, भू-राजस्व अधिनियम 1956 के नोटिस मौजूद होते। प्रार्थीगण उनके अधिवक्ता ऐसा कोई दस्तावेज पेश करने में असफल रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी के पास आवंटन के पूर्व से भूमि होने के तथ्य को छुपाया जाना बताया गया है, किन्तु आवंटन आवेदन पत्र की प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी द्वारा आवंटन आवेदन पत्र में उसके पास पूर्व से 1.0800 हेक्टेयर भूमि होने का उल्लेख किया है। प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि आवंटन कमेटी के कोरम पर मात्र सरपंच की मोहर लगी हुयी

है, शेष किसी भी सदस्य की मोहर न होने से उनके हस्ताक्षर को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि उक्त पत्रावली एक राजकीय दस्तावेज है जिस पर किये जाने वाले किसी भी हस्ताक्षर को प्रथम दृष्टया गलत नहीं माना जा सकता है। यदि कोई हस्ताक्षर गलत है तो इसके प्रमाण स्वरूप कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करना प्रार्थीगण अथवा उनके अधिवक्ता का दायित्व है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा मौका पर्चा रिपोर्ट प्रार्थीगण की जानकारी में न होना एवं विपक्षी द्वारा मिलीभगत से बनवाया जाना न्यायालय को अवगत कराया है, किन्तु पत्रावली का गम्भीरता से अवलोकन करने पर यह ध्यान में आता है कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रथम दायर दिनांक को ही मौका रिपोर्ट एवं आवंटन पत्रावली बाबत सम्बन्धित अधिकारियों को लिख दिया गया था। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को उक्त मौका रिपोर्ट की जानकारी न हो यह नहीं माना जा सकता। जिन्स गिरदावरी एवं पत्रावली के अवलोकन उपरान्त ऐसा कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त आवंटन में किसी प्रकार का मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो या आवंटन शर्तों की पालना नहीं हुयी हो। चूकिं उक्त विवादित आराजीयात पर विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तों की पालना करने के उपरान्त ही देय होते है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानान्तर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जाने चाहिये। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में चस्पा होते है। इस प्रकार आवंटन बहाल रखे जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं मौजा रून्देला, तहसील सलुम्बर की साबिक आराजी संख्या 2678 रकबा 0.7000 हेक्टेयर, आराजी संख्या 422 रकबा 0.6000 हेक्टेयर, कुल कित्ता 01 रकबा 1.3000 हेक्टेयर पर उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर अधिकारी द्वारा विपक्षी के पक्ष में जरिये मिसल संख्या 705/2000 से दिनांक 30.06.2000 को किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर